

[Shri Moturu Hanumantha Rao]

10 crores of rupees per month is required to make it survive with minimum production, that is not coming forward. If this unit which is producing 40% of the IDPL medicines, which are nowhere produced by the private firms, is to be closed down, it would be a calamity for the common patients of our country. If this unit is to pay all arrears and interests as stipulated, there is no alternative to closing down. There will be further retrenchment and the prices of drugs will go up sky-high at the will and pleasure of the multinationals.

So, if the Government is serious to protect the people of this country with medical services, it should rise to the occasion on a war-footing. The Government should take steps to see that all arrear payments are deferred. From now on a minimum of Rs. 10 crores should be given to the plant every month for six months for it to survive. If all the skilled personnel are allowed to retire and join the private enterprises, even the minimum production aimed at would dwindle to nothing. Unless the Government of India makes it a point to subsidise and maintain this national plant, it would be completely abdicating its responsibility to control even other life-saving drugs. The Government can monopolise certain specifics and sell them at subsidised rates to maintain a fair-price drug market. That would be of great help. All other goody-goody words about saving the public sector by the Government is a mere hoax on the people. Thank you.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA  
(Jammu and Kashmir) : I associate myself with this.

**उपसभाध्यक्ष (श्रीमती सुषमा स्वराज)**  
ठीक है, आपका एसोशियेशन भी रिकार्ड होगा।

**Uttar Pradesh Governments Decision to  
Wind up Secondary Education Services  
Commission**

श्री राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) :  
माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपके संरक्षण में मुझे पहली बार बोलने का अवसर प्रदान

किया गया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

इस स्पेशल मेशन के माध्यम से मैं इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने अपनी अविवेकपूर्ण कार्यशैली के माध्यम से उत्तर प्रदेश के समस्त शिक्षण संस्थानों को पूरी तरह से अव्यवस्थित कर दिया है।

महोदया, 1983 में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने उत्तर प्रदेश के इंटर कालेज और हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रबंध तंत्र की आपा धापी, नियुक्तियों में इररेगुलैरिटी और माननीय मनमानी को रोकने के लिए एक माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया था। इसका उद्देश्य यह था कि संपूर्ण प्रदेश में मैरिटोरियस टीचर्स को अवसर मिल सके और शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण का अच्छा वातावरण पैदा हो सके। सन 1988-89 में कुछ सदस्यों के रिटायर होने के बाद कोरम का अभाव हुआ, आयोग कार्य नहीं कर सका। हजारों वैकेंसियां क्रियेट होती चली गईं।

माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने शिक्षण संस्थाओं में व्यवस्थित स्वरूप स्थापित करने की दृष्टि से जब आयोग को विधिवत कार्य करने का मौका दिया तो कुछ नियुक्तियां हुईं लेकिन जैसे ही वर्तमान सरकार आई, 29 जून 1991 को एक सामान्य आदेश के जरिए हर तरह की नियुक्ति पर उत्तर प्रदेश में पाबंदी लगा दी गई। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग साढ़े छह हजार इंटर कालेज और हायर सेकेंडरी स्कूलों हैं उत्तर प्रदेश में और ऑन एन एवरेज लगभग 5 अध्यापकों की रिक्ति हर स्कूल और कालेज में है। तीस और चालीस हजार के बीच में अध्यापकों के पद रिक्त पड़े हुए हैं। कोई भी अध्यापक नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

एक प्रिंसिपल ने जब उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट पिटीशन किया तो उत्तर प्रदेश शासन के आदेश को असंवैधानिक और अवैधानिक घोषित करते हुए उच्च न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया। सदन को यह जानकर आश्चर्य होगा कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को मानना तो दूर रहा, उसके तत्काल बाद जब आयोग ने नियुक्तियों के लिए साक्षात्कार करना प्रारंभ किया तो 30 अप्रैल 1992 से ये नियुक्तियां शुरू होनी थीं और 28 अप्रैल को फिर से उस आदेश, जिस आदेश को रद्द कर दिया गया था, उसको फिर से जारी करके दोबारा नियुक्तियों पर बैन लगा दिया गया। उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना इससे ज्यादा घटिया स्तर पर हिंदुस्तान में कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती है।

मान्यवर, जब सोशल वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट स्वीकार हुआ तब वे लोग यह मानते चले आ रहे हैं कि राज्य का यह दायित्व है कि वह ऐसे अवसर उपलब्ध कराए व्यक्ति को ताकि उसके व्यक्तित्व का विकास हो सके। शिक्षा इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और शिक्षा के साथ अगर इस तरह का खिलवाड़ किया जाएगा तो व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती।

इस सदन के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक सुनियोजित साजिश का परिणाम है। उत्तर प्रदेश की सरकार, आपने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा कि रिटायर्ड अध्यापकों को नियुक्ति अब करेगी ताकि ग्रामीण अंचलों में गरीब लोगों के पढ़ने वाले बच्चों के स्कूलों में अध्यापक न रहें, कुछ संपन्न लोग निजी स्कूलों में पढ़ने को चले जाएं, दोहरी शिक्षण संस्थाएं, दोहरी शिक्षा प्रणाली फलती-फूलती रहे, यह साजिश का एक तरीका है।

दूसरी ओर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ए पर्टिकुलर स्कूल आफ थाट के लोगों को भरने के लिए इस आयोग को विघटित करने की 93.L/B(N)32RSS—7(a)

कार्यवाही की गई है और उसके स्थान पर चार आयोगों के गठन का प्रस्ताव किया गया है। जब एक आयोग को नहीं चला सकते, उसके जरिए सही तरीके से काम नहीं किया जा सकता, जो विधिवत काम कर रहा था आयोग उसको अनुमति नहीं दी जा सकती तो क्या यह जरूरी है कि जो चार तरह के आयोग बनाए जाएंगे उनमें युनिफर्मिटी होगी, एक जैसी काबलियत के लोग रखे जा सकेंगे। मान्यवर, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। केन्द्र सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने का हक है। इसीलिए उत्तर प्रदेश विधान मंडल द्वारा पारित विधेयक को माननीय महामहिम राष्ट्रपति की सम्मति के लिये भेजा गया है। मैं इस सदन के माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा केन्द्रीय सरकार से कि वह उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दे कि वह इस विधेयक को वापस ले। आयोग को विधिवत कार्य करने की अनुमति दी जाए ताकि आने वाले सत्र में छात्रों और अभिवाकों के मन में आक्रोश पैदा न हो जो कि विस्फोटक स्थिति ले सकता है, छात्र अशान्त हो सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ कि जिस डिग्री कालेज में मैं क्लासेज लेता हूँ वहां अध्यापकों की नियुक्ति न होने के कारण एक एक सेक्शन में दो दो सी, ठाई ठाई सी छात्र ले रहे हैं। जिन सेक्शंस में 60 से ज्यादा लड़के नहीं होने चाहिए वहां पर डेढ़ सौ लड़कों को भरती करने के लिए विवश किया जा रहा है। वहां पर बैठने के लिए स्थान नहीं है, पूरी अव्यवस्था है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को डाइरेक्शन दे और अगर उत्तर प्रदेश सरकार केन्द्रीय डाइरेक्टिव का सम्मान नहीं करती है जैसा कि हो रहा है अन्य मामलों में तो मेरा आग्रह है कि अनुच्छेद 365 को अनुच्छेद 356 के साथ रिलेट करके पढ़ा जाए और उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए।

अन्यवाद।

**श्री ईश दास यादव (उत्तर प्रदेश) :** माननीय उपसभाध्यक्ष महोदयों, प्रो. राम गोपाल यादव जी ने जिस विषय का उल्लेख किया है, यह उत्तर प्रदेश में शिक्षा जगत के लिए गंभीर समस्या बन गया है। 1983 में वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। उन्होंने शिक्षा चयन आयोग की स्थापना की। इसके बाद पूर्व मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह यादव ने उसमें बहुत सुधार किया। लेकिन वहां की जो वर्तमान सरकार है उस को वह इसलिए निरस्त कर रही है क्योंकि उस को कांग्रेस पार्टी ने बनाया था, उस आयोग को संदर रूप दिया था, अच्छा स्वरूप दिया था मुलायम सिंह यादव ने। अगर इस भावना से सरकार काम करेगी तो इसका शिक्षा जगत पर उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। वहां एक तरह से आन्दोलन खड़ा हो रहा है। शिक्षक चयन की जो प्रक्रिया थी जिसके लिए यह आयोग बनाया गया था उस की निरस्त करने के लिए केन्द्रीय सरकार को संस्तुति भेज दी है। शिक्षा समवर्ती मूची में है। प्रदेश और केन्द्र सरकार दोनों का विषय है। मेरा आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है और मांग है कि केन्द्रीय सरकार इसमें हस्तक्षेप करे ताकि उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है वहां की शिक्षा पर, वहां के अध्यापकों पर, वहां के बच्चों पर इसका कोई बुरा प्रभाव न पड़े पावे। यह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत है वह अच्छी नीयत नहीं लगती है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को इस में हस्तक्षेप करना चाहिए और जो पूर्व प्रणाली है उसको चालू करके सही ढंग से नियमित शिक्षकों का चयन होना चाहिए। मैं प्रो. राम गोपाल यादव जी का जो विशेष उल्लेख है, उसके साथ अपने को संबद्ध करता हूं। धन्यवाद।

**श्री शंकर बघाल सिंह (बिहार) :** उपसभाध्यक्ष महोदयों, प्रो. राम गोपाल यादव जी ने आज ही शेष ग्रहण की और आज ही जिस विषय की शिक्षा उन्होंने किया उससे मुझे

लगा कि ये सदन के नए सदस्य नहीं है, बल्कि पुराने सदस्य है। मैं इस के लिए उन को बधाई देना चाहता हूं।

**श्रीमती सत्या बहिन (उत्तर प्रदेश) :** महोदयों, मैं बधाई देना चाहती हूं और कहना चाहती हूं कि पहले ही दिन जो उन्होंने मांग की है उस को मान लिया जाए और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार की बर्खास्त कर दिया जाए।

#### Curtailment in Gas Supply to Tata Electric Companies Ltd. by ONGC

**SHRI VIREN J. SHAH (Maharashtra) :** Madam Vice-Chairman, I want to mention about the peculiar situation that has arisen due to electric power shortage in Greater Bombay and certain parts of western India. And the reason given for this, as reported by the 'Financial Express' of 3rd July in their main lead story is that the Oil and Natural Gas Commission had cut the supply of gas to the Tata Electric Companies Limited from 1.5 mmcmd to 1 mmcmd.

The effect of that has been that 3.00 P.M. immediately the power availability with the system there has gone down which has affected not only the domestic usage but much more so the usage for even the local trains and manufacturing activities. As you know, Greater Bombay gives the highest revenue to the Government of India. At that time, on July 2nd, the ONGC sources—I quote—pointed out that 'the scene will be clear in a week's time'. A week has passed and yet there is no clarity as to what is going to happen and what sort of alternative source of supply will be made to the Tata Electric Companies in Bombay area to meet their requirements of power. The news report also says that a high-level delegation of the Government of Maharashtra met the Minister of Petroleum and Natural Gas in New Delhi. The situation is bad as the additional quantity of 30,000 tonnes of Low Sulphur Heavy Stock supply from Koyali near Baroda has not been fulfilled by the Centre, which was promised. My purpose of drawing the attention of this